रजि सं. डी. (डी. एन.)—72 REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 57] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 17, 1982/माघ 28, 1903
No. 57] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 17, 1982/MAGHA 28, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1982

का०आ० 83(अ).—यत: लोकसभा ने यह संकल्प पारित किया है कि

(1) गांधी शांति प्रतिष्ठान ,

(2) गांधी स्मारक निधि,

(3) अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ; और

(4) तीन उपर्युक्त संगठनों से निकट रूप से संबद्ध अन्य संगठनों के सार्वजनिक महत्व के निश्चित मामले अर्थात कार्यकरण और कार्यकलापों जिनके अन्तर्गत प्रकाशन और स्रोत हैं तथा निधियों के दुरुपयोग की जांच करने के प्रयोजन के लिए एक जांच आयोग नियुक्त किया जाए ,

और यत: केन्द्रीय सरकार की यह राय भी है कि सार्वजनिक महत्व के अन्य निश्चित मामले, अर्थात, ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक अभिकरणों के संगम और इससे निकट रूप से संबद्ध अन्य संगठनों के कार्यकरण और कार्यकलापों की जिनके अन्तर्गत प्रकाशन और स्रोत हैं तथा निधियों के दुरुपयोग की जांच करने के प्रयोजन के लिए एक जांच आयोग नियुक्त करना आवश्यक है

अत केन्द्रीय सरकार, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक जांच आयोग नियुक्त करती है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री पी०डी० कुडाल होंगे ।

2 आयोग के निर्देश-निबंधन निम्नलिखित होंगे—

(क) (1) गांधी शान्ति प्रतिष्ठान,

(2) गांधी स्मारक निधि ;

(3) अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ ,

(4) ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक अभिकरणों का संगम, और

(5) उपर्युक्त संगठनों से निकट रूप से संबद्ध अन्य संगठनों के,

यह अवधारित करने के लिए कि क्या उन्होंने अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप कार्य किया कार्यकरण और कार्यकलापों की, जिनमें प्रकाशन भी है जांच करना ;

(ख) उपरिलिखित संगठनों की निधियों के स्रोतों की जांच करना ;

(ग) उक्त संगठनों द्वारा, उनके लक्ष्यों और उद्देश्यों के संदर्भ में निधियों के उपयोग की रीति और उनके दुरुपयोग की यदि कोई हो, जांच करना; और

(घ) किसी भी ऐसे मामले की जो उपर्युक्त मामलों से आनुषंगिक या प्रासंगिक हो जांच करना ।

3 आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

4. आयोग अपनी जांच पूरी करेगा और अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को 31 जुलाई, 1982 को या इसके पूर्व देगा और ऐसे मामले या मामलों में संबंधित ऐसी अन्तरिम रिपोर्ट या रिपोर्टें भी जो आयोग उचित समझे दे सकेगा ।

5. और यतः केन्द्रीय सरकार की, की जाने वाली जांच के स्वरूप और मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए राय है कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 5 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के सभी उपबंध आयोग को लागू होने चाहिए, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा 5 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि उक्त उपधारा (2), (3), (4) और (5) के सभी उपबंध आयोग को लागू होंगे।

[I/12014/4/81-आई०एस० (डी-III)]

जी० एस० ग्रेवाल संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 1982

S.O. 83(E).—Whereas the House of the People have resolved that a Commission of Inquiry be appointed for the purpose of making an inquiry into a definite matter of public importance, namely, the working and activities, including publications and sources and misuse of funds, of—

(1) Gandhi Peace Foundation ;

(2) Gandhi Samarak Nidhi ;

(3) All India Sarva Sewa Sangh ; and

(4) Other organisations closely connected with the three above-mentioned organisations ;

And whereas the Central Government is also of opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into another definite matter of public importance, namely the working and activities including publications and sources and misuse of funds of the Association of Voluntary Agencies for Rural Development and other organisations closely connected with it ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby appoints a Commission of Inquiry consisting of Shri Justice P. D. Kudal, a Judge of the Rajasthan High Court.

2. The terms of reference of the Commission shall be as follows :—

(a) to inquire into the working and activities, including publications, of—

(1) Gandhi Peace Foundation ;

(2) Gandhi Samarak Nidhi ;

(3) All India Sarva Sewa Sangh ;

(4) Association of Voluntary Agencies for Rural Development ; and

(5) Other organisations closely connected with the above-mentioned organisations ;

to determine whether they acted in conformity with their aims and objects ;

(b) to inquire into the sources of funds of the organisations referred to above ;

(c) to inquire into the manner of utilisation of funds and misuse thereof, if any, by the said organisations, with reference to their aims and objects ; and

(d) to inquire into any such matter as may be incidental or relevant to the above-mentioned matters

3. The headquarters of the Commission shall be at New Delhi.

4. The Commission will complete its inquiry and report to the Central Government on or before the 31st July, 1982 and may also submit such interim report or reports concerning such matter or matters, as it may think fit.

5. And whereas the Central Government is of opinion, having regard to the nature of the inquiry to be made and other circumstances of the case, that all the provisions of sub-section (2), sub-section (3), sub-section (4) and sub-section (5) of section 5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), should be made applicable to the Commission, the Central Government hereby directs, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the said section 5, that all the provisions of the said sub-sections (2), (3), (4) and (5) of that section shall apply to the Commission.

[I/12014/4/81-IS(D. III)]

G. S. GREWAL, Jt. Secy.